UPBS120003152016

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D.),F.T.C, Basti

पीठासीन अधिकारी–(SUSHRI JANHVI TRIPATHI), **(उ0प्र0 न्यायिक सेवा)– UP04872**

मूलवाद सं0 07/2016

रामदूलारे बनाम निसार अहमद

11.02.2026

1– पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 141क2 व आपत्ति 144ग2 पर पूर्व में सुना गया। पत्रावली आदेशार्थ आज नियत है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 141क2

2– संशोधन प्रार्थनापत्र 141क2 दिनांकित 11–11–2025 प्रार्थी/वादी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि वाद उपरोक्त में दावा जल्दबाजी में दाखिल हुआ। बंटवारे के मैप के अवलोकन में तथा उर्दू अक्षरों के देखने में हुई त्रुटि के कारण वादपत्र में कुछ शब्द गलत टाइप हो गए, तथा मानचित्र वादपत्र में विवादित नंबर 51/2 की स्थिति गलत प्रदर्शित हो गई है। जिसकी जानकारी प्रार्थनापत्र 6ग पर बहस के सिलसिले में, आज अधिवक्ता द्वारा पत्रावली की तैयारी के दौरान हो सकी है। मैटर इन कान्ट्रोवर्सी हेतु उक्त त्रुटियों का संशोधन किये जाने की याचना की गई है।

3– प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं0–144ग2 दिनांकित 27–11–2025 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र वादीगण खिलाफ कानून, न्याय के विरुद्ध वाक्यात जो निरस्त होने योग्य है। वादी ने प्रस्तुत वाद 1935 के बंटवारे के आधार पर शिकमी नंबर 51/2 के संबंध में दाखिल किया है, जिसका स्पष्ट उल्लेख वाद–पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में करते हुए अपनी भूमि को नक्शे में दर्शाया गया है। जिस पर प्रतिवादी द्वारा वादोत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें प्रतिवादी ने भी अपने वादोत्तर के साथ नक्शा नजरी दाखिल कर मौके की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की है। वादी के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय अमीन द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट एवं नक्शा मौका के अनुरूप बनाकर दिनांक 17–02–2016 को ही दाखिल कर दिया गया है, जिसमें विवादित भूमि एवं उस पर स्थित निर्माण तथा जमीन की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। वादी मात्र मुकदमे को लंबित करने के उद्देश्य से तथा प्रार्थनापत्र 6ग की सुनवाई टालने हेतु, अपने पूर्व कथनों के विपरीत नक्शा में परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है, जो किसी भी दशा में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। वादी संशोधन प्रार्थनापत्र के माध्यम से संशोधित भूमि की वे चौहद्दी, जो पूर्व में दी गई थी, उसे समाप्त करना चाहता है तथा बिना चौहद्दी दिए, मौके के विपरीत नक्शा नजरी में दर्ज करना चाहता है, जो कत्तई स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

4– दौरान मौखिक बहस वादी की ओर से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तावित संशोधन से वाद के उपचार एवं प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रतिवादी द्वारा मौखिक बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तावित संशोधन में प्रदर्शित नक्शा नजरी में प्रतिवादी के घर को प्रदर्शित नहीं किया गया है जब कि अदालत अमीन द्वारा मौके पर जाकर जो नक्शा बनाया गया उस पर वह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। प्रतिवादी द्वारा यह कथन भी किया गया कि विवादित गली पर वादी द्वारा कोई उपचार याचित नहीं है। वादी द्वारा वादपत्र में उपचार व संरचना अ,ब,स,द,य,र,ल प्रदर्शित नक्शानजरी वादपत्र पर याचित था। जिसपर वादी द्वारा यह

प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया कि वाद का उपचार वादी का अधिकार होता है। जिसपर किसी प्रकार का निर्देश प्रतिवादी द्वारा नहीं दिया जा सकता।

5– उपरोक्त तर्को के आधार पर पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा जरिये प्रार्थनापत्र 141 क 2 वादपत्र की नक्शा नजरी एवं पारिणामिक संशोधन वादपत्र में किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा मूल रूप से यह आपत्ति ली गयी है कि प्रस्तावित संशोधन मौके की स्थिति के विपरीत है जो पत्रावली पर दाखिल अमीन आख्या से भी पुष्ट होता है। वादोत्तर 78 क 1 की धारा 15 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादी नें इस तथ्य पर बल दिया कि शिकमी न 0– 51/2 में यदि कोई भी अँश प्रतिवादी का पड़ता भी है तो वह 12 साल से उस अंश का प्रयोग कर रहे है जिसपर उनका अधिकार परिवक्व हो चुका है।

7– यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संशोधन प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर एकमात्र औचित्य इस तथ्य का है कि प्रस्तावित संशोधन वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक हो तथा उससे वाद की प्रकृति में कोई भी परिवर्तन न हो रहा हो। प्रस्तावित संशोधन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा विवादित शिकमी न–51/2 की संरचना एवं नवैइयत में परिवर्तन किया है तथा आस पास के शिकमी नम्बरान की अवस्थिति दर्शाई है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को मौके के विपरीत होने का कथन किया गया है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि मौके की वास्तविक अवस्थिति को सिद्ध करने का भार पक्षकारों पर है। पक्षकारों को स्वतंत्र साक्ष्यों से अपना अभिवचन साबित करना होगा। अत इस आधार पर प्रस्तावित संशोधन निरस्त नहीं किया जा सकता। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन विवादित शिकमी न 0–51/2 से ही संबंधित है। अत उससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वादी द्वारा संशोधन का कारण यह दिया गया कि पत्रावली 6 ग की बहस हेतु तैयार करते समय नक्शे की त्रुटि से संज्ञान में आई। अत यह स्पष्ट है कि कोई नया तथ्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे प्रार्थनापत्र वादी की सम्यक तत्परता के अभाव में विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है तथा हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 141 क 2 मु0– 200/– रूपये हर्जे परस्वीकार किया जाता है। आपत्ति कागज सं0–1444 ग 2 तदनुसार निस्तारित। वादी परिणामी संशोधन नियत तिथि से पूर्व करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर दिनांक 16–03–2026 को पेश हो।

(जान्हवी त्रिपाठी)
सिविल जज (जू0 डि0), एफ.टी.सी. बस्ती।
(उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा)– UP04872